

मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड,  
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/हम्माल-तुलावटियों/300

भोपाल दिनांक 27/04/2020

संशोधित आदेश

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में तुलाई तथा हम्माली की पृथक पृथक दरें प्रचलित होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन की जाने वाली शासकीय एजेन्सियों को भारत सरकार से भुगतान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रकार से बिल तैयार करने में कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं, इसके दृष्टिगत मण्डी बोर्ड मुख्यालय के आदेश क्रमांक/बी-6/नियमन/हम्माल-तुलावटियों/298 भोपाल दिनांक 24.04.2020 द्वारा शासकीय उपार्जन एजेन्सियों के लिए वर्ष 2020-21 से आगामी 03 वर्षों के लिए हम्माली, तुलाई एवं अन्य दरों का निर्धारण किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार दरों का निर्धारण किया जाता है :-

दरें प्रति क्विंटल (रूपये में)

S.N.	Mandi labour activities	Proposed Rate Rs. per Quintal
1	Weighing	3.00
2	Bagging	4.00
3	Stiching and labelling	4.00
4	Temporary Stacking at procurement Centre	3.00


उपरोक्त दरें सभी मण्डी समितियों एवं मण्डी क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य उपार्जन हेतु रबी एवं खरीफ विपणन सीजन हेतु प्रभावशील होंगी।

  
(संदीप यादव)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

प्रतिलिपि :-

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय म.प्र.शासन,।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
03. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
04. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग।
05. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सहकारिता, विभाग।
06. प्रबंध संचालक, नाफेड/मार्कफेड/नान/सी.सी.आई./एफ.सी.आई.।
07. आयुक्त, समस्त संभाग/कलेक्टर जिला (समस्त)।
08. अपर संचालक(समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
09. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय समस्त
10. अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।
11. अध्यक्ष, हम्माल/तुलावटी संघ, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।
12. गार्ड फाईल/नियमन/एम.आई.एस./प्रांगण/विधि/वित्त/स्टोर शाखा।

  
27.4.20  
आयुक्त सह प्रबंध संचालक  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल